झारखण्ड सरकार
सांस्कृतिक कार्य निदेशालय
(पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग)

Phone: 0651-2401917, E-mail: dirjharkhandculture@gmail.com

स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता अनुदान संबंधी सूचना :–

पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एव युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य में निबंधित स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं / संगठनों से वित्तीय वर्ष 2020–21 में वित्तीय सहायता अनुदान हेतु निम्नांकित विहित–प्रपत्र में सूचनाएँ टंकित कर अथवा स्पष्ट हस्तलिपि में भरकर संलग्न करते हुये आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक संस्था का मुख्य कार्यालय झारखण्ड राज्य में अवस्थित होना अनिवार्य है। विहित–प्रपत्र में निदेशक, संस्कृति को सम्बोधित आवेदन एवं वांछित अनुलग्नकों / कागजातों / अभिलेखों सहित दिनांक 22.02.2021 के अपराह्न 5:00 बजे तक निबंधित डाक से अथवा हाथों–हाथ निदेशक, संस्कृति, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार, एम०डी०आई० भवन, कमरा संख्या 309 (A), तृतीय तल धुर्वा, रांची : 834004 के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा। अधूरे, अस्पष्ट, असामान्य एवं अतार्किक रूप से अधिक राशि की मांग करने वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक में खोये गए आवेदनों की जिम्मेवारी इस विभाग की नहीं होगी। इस विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों पर इस वित्तीय वर्ष में अनुदान हेतु विचार किया जा सकेगा। इससे संबंधित **आवेदन– प्रपत्र, शर्तें एवं निर्देशिकाएँ** आदि से संबंधित सूचना सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के वेब–पोर्टल www.jharkhandculture.com पर देखा जा सकता है।

निदेशक, संस्कृति
सांस्कृतिक कार्य निदेशालय
झारखण्ड, रांची

PR240640 (Art Culture Sports and Youth Affairs)20-21*D

प्रभात खबर
Wed, 03 February 2021
https://epaper.prabhatkhabar.com/c/58164607

Scanned with CamScanner

(13)

झारखण्ड सरकार   पत्रांक: 329

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग दिनांक: 02/02/2021

(सांस्कृतिक कार्य निदेशालय)

स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता अनुदान संबंधी सूचना

पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य में निबंधित स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं/संगठनों से वित्तीय वर्ष 2020–21 में वित्तीय सहायता अनुदान हेतु निम्नांकित विहित–प्रपत्र में सूचनाएँ टंकित कर अथवा स्पष्ट हस्तलिपि में भरकर संलग्न करते हुये आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक संस्था का मुख्य कार्यालय झारखण्ड राज्य में अवस्थित होना अनिवार्य है। विहित–प्रपत्र में निदेशक, संस्कृति को सम्बोधित आवेदन एवं वांछित अनुलग्नकों/कागजातों/अभिलेखों सहित दिनांक 22.02.2021 के अपराह्न 5:00 बजे तक निबंधित डाक से अथवा हाथों–हाथ निदेशक, संस्कृति, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार, एम०डी०आई० भवन, कमरा संख्या 309(A), तृतीय तल धुर्वा, रांची : 834004 के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा। अधूरे, अस्पष्ट, असामान्य एवं अतार्किक रूप से अधिक राशि की मांग करने वाले आवेदनों को सरासरी तौर पर रद्द कर दिया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक में खोये गए आवेदनों की जिम्मेवारी इस विभाग की नहीं होगी। इस विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों पर इस वित्तीय वर्ष में अनुदान हेतु विचार किया जा सकेगा। इससे संबंधित **आवेदन– प्रपत्र, शर्तें एवं निर्देशिकाएँ** आदि से संबंधित सूचना सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के वेब–पोर्टल www.jharkhandculture.com पर देखा जा सकता है।

01.02.2021

निदेशक, संस्कृति
सांस्कृतिक कार्य निदेशालय
झारखण्ड, रांची।

Scanned with CamScanner

(8)

झारखण्ड सरकार
सांस्कृतिक कार्य निदेशालय

झारखण्ड स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रण सूचनाः–

पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना सं0–191 दिनांक–21.06.2019 के आलोक में झारखण्ड स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2020–21 में वित्तीय सहायता अनुदान हेतु विहित–प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ टंकित कर अथवा स्पष्ट हस्तलिपि में भरकर संलग्न करते हुये आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

2. विहित–प्रपत्र में आवेदन एवं वांछित अनुलग्नकों/कागजातों/अभिलेखों सहित दिनांक–22.02.2021 के अपरहान्–5:00 बजे तक बंद लिफाफे में (लिफाफे के ऊपर झारखण्ड स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता अनुदान हेतु आवेदन स्पष्टतः अंकित रहना चाहिए) निबंधित डाक से अथवा हाथों–हाथ निदेशक, संस्कृति, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, सरकार, एम0 डी0 आई0 भवन, तृतीय तल, धुर्वा, राँची, 834004 के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा।

3. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक में खोये गए आवेदनों की जिम्मेवारी इस विभाग की नहीं होगी। इस विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों पर ही अनुदान हेतु इस वित्तीय वर्ष में विचार किया जा सकेगा।

आवेदन–प्रपत्र

(1) संस्था का नाम/पुरा पता/कार्यालय का पुरा पता/ई--मेल एवं मोबाईल नम्बर।

(2) संस्था का संविधान/उद्देश्य और रजिस्ट्रींकर ण प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति, संस्था का नाम, पूरा पता, कार्यालय का पूरा पता, E-mail Id एवं मोबाईल नम्बर।

(3) संस्था की उपविधि, संस्था के सदस्यों, पदाधिकारियों की सूची सहित,

(4) संस्था का अद्यतन वार्षिक प्रतिवदेन (फोटोग्राफ और समाचार पत्र कतरनों के साथ),

(5) संस्था (या सोसाइटी) की सामान्य परिषद्/कार्यकारिणी निकाय द्वारा सरकार से अनुदान प्राप्त करने संबंधी पारित प्रस्ताव की कार्यवाही की प्रति,

(6) परियोजना की विस्तृत विवरणी, उसकी पूरी होने की अवधि, उसका कार्यान्वयन करानेवाले प्रोफेशनल्स की सूची, उनका बायोडाटा आदि तथा उसका बजटीय ब्रेकअप के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव,

(7) संस्था का विगत् तीन वर्षो की अवधि के साथ आय एवं व्यय का चार्टड ऐकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित अंकेक्षण प्रतिवेदन,

(8) संस्था का विगत् वर्षो में राज्य/केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान/वित्तीय सहायता का ब्योरा यदि कोई हो, उपयोगिता प्रमाण पत्र,

(9) संस्था का विगत् तीन वर्षों में कराये गए कार्यक्रमों/गतिविधियों संबंधित अभिलेख जिससे उनके संबंधित कार्यक्षेत्र में कार्यरत/एक्टीव रहने का पता चलें।

(10) संस्था के बैंक एकाउंट संबंधी जानकारी विहित प्रपत्र में (बैंक/शाखा का नाम, खाता सं०, (IFSC Code, PAN No. etc.)

(11) विहित–प्रपत्र पर हस्ताक्षरित पूर्व पावती रसीद (प्री--रीसिट)

(12) सरकार अथवा किसी प्राइवेट सेक्टर की एजेंसी द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं होने का घोषणा पत्र।

(13). केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 से सुरक्षा एवं बचाव हेतु जारी दिशा–निर्देश के अनुपालन सुनिश्चित करने से संबंधित घोषणा पत्र।

(14). आवेदक की घोषणा : संस्था के संबंध में दी गई उपरोक्त सभी सूचनाएं पूर्णतया सही हैं।

(आवेदक का हस्ताक्षर, नाम, पता, मो० नं०)

(15). अनुशंसा अधिकारी की अनुशंसा :–

:....................(संस्था का नाम).................. संस्था................. (वर्षो की संख्या) ....वर्षो से **कार्यरत है तथा कला, संस्कृति, साहित्य के क्षेत्र में इनके कार्य–कलाप संतोषजनक हैं। आवेदन पत्र नियमानुसार सही पाये जाने पर इन्हें अनुदान देने पर विचार किया जा सकता है।**

अनुशंसा पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम / मोहर

Scanned with CamScanner

नोट : 1. निदेशक को सम्बोधित आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे विहित–प्रपत्र की कंडिका 14 में संबंधित राज्य अकादमी / उपायुक्त / राज्य सरकार द्वारा वित्तीय पोषित सांस्कृतिक संस्थाएँ / उप विकास आयुक्त / अनुमण्डल पदाधिकारी / जिला जनसंपर्क पदाधिकारी / जिला स्तरीय विभागीय पदाधिकारी द्वारा अवश्य अनुशंसित होना अनिवार्य है। 2. गतिविधियाँ जिनके लिए वित्तीय सहायता दी जायेगी:–सांस्कृतिक कार्यक्रम यथा–कार्यशाला, उत्सव–महोत्सव, प्रदर्शनी, नये नाटक का प्रोडक्शन, चाक्षुष कला में अभिनव परियोजना, सेमिनार, आर्टिस्ट रेजिडेन्सी, संस्कृति के संरक्षण सम्बधी कार्यक्रम शोध सर्वेक्षण, प्रकाशन, अभिलेखीकरण तथा इनके लिए आवश्यक सहयोगी उपकरण आदि की खरीद के लिए दी जायेगी। 3. सहायता अनुदान स्वैच्छिक, गैर लाभकारी यथा सोसाइटी, ट्रस्ट, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रहें महाविद्यालय, विश्वविद्यलयों और वैसी संस्थाओं को दी जायेगी जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण ऐक्ट 1860 (ऐक्ट–21 / 1860) के अधीन झारखण्ड राज्य में निबंधित हो, और तत्पश्चात् कम से कम तीन वर्षों से कार्यरत हो तथा जिसका उद्देश्य कला एवं संस्कृति का विकास करना हो एवं उनके पास योजना के कार्यान्वयन के लिए पात्र कलाकार और प्रोफेशनल्स हो। 4. सहायता अनुदान राजनैतिक और धार्मिक संस्थाओं को देय नहीं होगा। 5. स्वीकृत अनुदान की राशि का 75% प्रथम अग्रिम संस्था / दलों / क्लबों / आवेदको को दिया जायेगा एवं कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् कार्यक्रम की फोटोग्राफी / विडियोंग्राफी एवं कार्यक्रम का पूर्ण ब्यौरा / विपत्र देने के उपरान्त 25% अवशेष राशि देय होगा। 6. संस्था / दलों / क्लबों / आवेदकों को एक वर्ष में एक ही बार अनुदान राशि दी जायेगी। 7. संस्था / दलों / क्लबों / आवेदकों को प्राप्त सहायता अनुदान राशि के खर्च का पूर्ण ब्यौरा / उपयोगिता प्रमाण पत्र / अंकेक्षण प्रतिवेदन छः माह के अंदर सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 8. अधिकांशतः या पूर्णतः एक ही परिवार के द्वारा संचालित संस्था, किसी व्यक्ति विशेष अथवा परिवार द्वारा संचालित कोई शीर्ष संस्कृति / क्लब / संस्था को किसी भी स्थिति में सहायता अनुदान का पात्र नहीं समझा जाएगा। 9. संस्थाएँ विभाग द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता की राशि के उपयोग के बाद लेखा परीक्षा चार्टड एकाउंटेंट से करायेगी तथा विभाग को उसका प्रतिवेदन, उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सौंपेगी। 10. विभाग यदि चाहे तो, उक्त राशि के उपयोग की गई राशि का सत्यापन कर सकेगी। 11. इसके लिए संबंधित संस्थाओं को सभी दस्तावेज यथावश्यक विभाग को उपलब्ध कराना होगा। वित्तीय सहायता के उपयोग के लिए समय–समय पर विभाग द्वारा दिये गये निदेशों / मार्गदर्शनों का अनुपालन करना, सम्बधित संस्थाओं के लिए बाध्यकारी होगा। 12. आवेदक द्वारा अनुदान हेतु दिये गये प्रोजेक्ट के अनुसार कार्यो का पर्यवेक्षण विभागीय पदाधिकारी / जिला सम्पर्क पदाधिकारी / स्थानीय प्रखण्ड पदाधिकारी / अंचलाधिकारी / बाल विकास पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। 13. विभागीय पदाधिकारी या अनुदान समिति का सदस्य समय–समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं की समीक्षा / जाँच कर सकेंगें और इनके सत्यापन प्रतिवेदनों को अनुदान समिति की बैठकों में रखा जाएगा तथा उस पर सम्यक् रूप से विचारण के बाद वित्तीय सहायता अनुदान स्वीकृत किया जयेगा। 14. सहायता अनुदान हेतु विज्ञापन में मांगी गई कोई भी सूचना छुपाना भी गलत सूचना देना माना जायेगा। 15. आवेदन में भ्रामक / फर्जी / तथ्यहीन एवं गलत सूचना देने वाली संस्थाओं / दलों को भविष्य में अनुदान देने पर विचार नहीं किया जायेगा। सहायता अनुदान हेतु निर्गत् विभागीय अधिसूचना संख्या–191 दिनांक–21.06.2019 में निहित निर्देशिकाएँ, विभागीय वेवसाईट www.jharkhandculture.com पर देखा जा सकता है। 16. इस विज्ञापन में दी गई जानकारी से अधिक किसी अन्य संबंधित जानकारी के लिए कार्यालय के उपरोक्त पते पर सहायक निदेशक, संस्कृति, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखण्ड, रांची के (मो0–9431253093) पर कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।

.02.2021

निदेशक, संस्कृति
सांस्कृतिक कार्य निदेशालय
झारखण्ड, रांची।

Scanned with CamScanner